रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2008/आषाढ़ 26, 1930

No. 402] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2008/ASADHA 26, 1930

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 540(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में संलग्न कंपनी के लिए संबद्ध आचार संहिता) विनियम, 2008 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006;

(ख) "संबद्ध" का अर्थ है कंपनी से संबंधित कोई व्यक्ति या संबंधित व्यक्ति के संबंध में कोई कंपनी;

(i) जो कंपनी या संबंधित व्यक्ति, जैसा मामला हो, के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा एक या एक से अधिक मध्यस्थ के माध्यम से भागीदारी करे;

(ii) जिसके पास कंपनी या संबंधित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, में अधिक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दत्तमत अधिकार के 26% से कम शेयर न हों;

(iii) जो कंपनी या संबंधित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के आधे से अधिक बोर्ड के निदेशकों या शासी निकाय के सदस्यों या शासी निकाय के एक या अधिक कार्यपालक निदेशकों या कार्यपालक सदस्यों की नियुक्ति करे; अथवा

(iv) जो कंपनी या संबंधित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के कुल ऋण की कम से कम 10% की गारंटी दे ।

(ग) "नियत दिवस" का अर्थ है 01 अक्तूबर, 2007 का दिन, जब केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना करने की अधिसूचना जारी की थी;

(घ) "बोर्ड" का अर्थ है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड;

(ड.) "पूंजीगत लागत" का अर्थ है चल परिसम्पित्तियों के सृजन से संबंधित लागत;

(च) "लागत" का अर्थ है पूंजी लागत, प्रत्यक्ष लागत, वित्तीय लागत, पूर्ण आबंटित लागत प्रचालन लागत है, जैसी भी स्थिति हो।

(छ). "प्रत्यक्ष लागत" का अर्थ है वह लागत जिसकी पहचान प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन या विस्तार करने में व्यय की गई लागत के रूप में आसानी से की जा सके;

(ज) "वित्त-पोषण लागत" का अर्थ है परिसम्पत्ति के सृजन या प्रचालन लागत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त-पोषित लागत;

(झ) "पूर्णतः आबंटित लागत" का अर्थ है प्रत्यक्ष लागतों की राशि और किए गए कार्यकलापों के स्तर के आधार पर और आबंटन के सतत अनुप्रयुक्त आधार पर निकाली गई अप्रत्यक्ष लागत का आनुपातिक हिस्सा;

(ञ) "अप्रत्यक्ष लागत" का अर्थ है ऐसी लागत जिसकी पहचान प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने या विस्तार करने के लिए अथवा प्राकृतिक गैस के विपणन करने पर आई लागत के रूप में प्रत्यक्ष रूप से न की जा सके और जिसमें समान ऊपरी लागत, समान प्रशासनिक व्यय और कर शामिल हों लेकिन उन तक सीमित न हो;

(ड.) "प्राकृतिक गैस का विपणन" का अर्थ है प्राकृतिक गैस की बिक्री या वितरण के कार्यकलाप;

(ट) "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन" का अर्थ है पेट्रोलियम ओर प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अन्तर्गत वर्णित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन;

(ठ) "प्रचालन लागत" का अर्थ है अचल परिसम्पत्ति या सेवा को बनाए रखने और अनुरक्षण से संबंधित लागत;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्द तथा अभिव्यक्तियां, किंतु जिनका अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों में उल्लेख किया गया है, का अर्थ अधिनियम या नियमों या विनियमों, जैसा भी मामला हो, में क्रमशः दिया गया उनका अर्थ होगा।

3. प्रयोज्यता

ये विनियम उस कंपनी पर लागू होंगे -

(1) जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन और विस्तार करने की पेशकश करे तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अन्तर्गत ऐसा करने के लिए प्राधिकृत हो;

(2) जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछा रहा हो, निर्माण, प्रचालन या विस्तार कर रहा हो तथा पेट्रोलियम और जिसे प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन और विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अंतर्गत ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(3) जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन या विस्तार करने के लिए नियत दिन से पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत हो; अथवा

(4) जिसे संगत विनियमों के अंतर्गत संबंधित पाइपलाइन को समान वाहक या संविदागत वाहक में परिवर्तित करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो या निदेश दिया गया हो।

बशर्ते कि कंपनी प्राकृतिक गैस के विपणन कार्यकलापों में संलग्न हो या उसके संलग्न होने का प्रस्ताव हो।

(क) या स्वयं;

(ख) किसी खंड, व्यवसाय इकाई या कंपनी द्वारा विभिन्न व्यवसाय खण्डों के लिए किए गए अन्य श्रेणीकरण के माध्यम से, किंतु कंपनी द्वारा उस व्यवसाय के स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण को किसी अन्य कंपनी में परिवर्तित न किया गया हो; या

(ग) अपनी संबद्ध कंपनी के माध्यम से।

4. संबद्ध आचार-संहिता का विस्तार

(1) इन विनियमों में निर्दिष्ट संबद्ध आचार-संहिता और इसमें आगे दिया गया "संहिता" के रूप में निर्दिष्ट तरीका -

(क) "निकटता" के सिद्धांत पर आधारित प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन दोनों कार्यकलाप करने के उद्देश्य से कंपनी और उसकी संबद्ध कंपनी के बीच बातचीत; या

(ख) "निकटता" के सिद्धांत का पालन करते हुए कंपनी द्वारा स्वयं प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के कार्यकलापों दोनों में संलग्न रहना।

(2) इस संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि -

IndiaCode

(क) जब कंपनी प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन दोनों कार्यकलापों में स्वयं संलग्न हो और अपनी संबद्ध कंपनी के साथ कार्य करते हुए उपभोक्ताओं और अन्य कंपनियों के हितों की रक्षा हो;

(ख) कंपनी द्वारा स्वयं या अपनी संबद्ध कंपनी के साथ प्राकृतिक गैस के विपणन कार्यकलापों सहित विनियमित कार्यकलाप और किसी अन्य गैर-विनियमित कार्यकलाप के बीच लागत की क्रॉस सब्सिडी को रोका जा सके, जो कंपनियों के बीच उचित व्यापार और प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है या जिसमें प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना हो;

(ग) विनियमित कार्यकलाप के लिए कंपनी द्वारा स्वयं या अपनी संबद्ध कंपनी द्वास अधिमान पहुंच की अनुमति न दी गई हो; और

(घ) प्राकृतिक गैस का स्वच्छ और प्रतिस्पर्धी विपणन विकसित किया गया हो।

5. लेखाकरण पृथक्करण की मात्रा

(1) कंपनी उन मामलों में विनियमित कार्यकलाप से संबंधित अलग वित्तीय रिकार्ड और लेखा पुस्तकों का रखरखाव करके लेखा और वित्त का अलग-अलग हिसाब रखना सुनिश्चित करेगी जहां :-

(क) कंपनी की संबद्ध कंपनी प्राकृतिक गैस का विपणन कर रही है या किए जाने का प्रस्ताव है; या

(ख) कंपनी प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन, दोनों कार्यकलाप स्वयं कर रही है या करने का प्रस्ताव है।

(2) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उप-विनियम (1) के अन्तर्गत विनियमित कार्यकलाप के संबंध में लेखा और वित्त का अलग-अलग हिसाब करते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों लागतों का आबंटन विनियमित कार्यकलाप को पारदर्शी तरीके से और किसी अन्य गैर-विनियमित कार्यकलाप के संबंध में लागत की क्रॉस सब्सिडी के बिना हो।

(3) कंपनी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और कम्पनी अधिनियम, 1956 के लेखाकरण मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन करेगी और बोर्ड उचित समझे जाने पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लागत आबंटन आधार की उपयुक्तता की जांच करेगा।

6. उपभोक्ता सूचना की गोपनीयता

(1) कंपनी किसी सम्बद्ध कंपनी को उसकी लिखित सहमति के बिना ग्राहक से संबंधित निम्नलिखित जानकारी के अलावा कोई जानकारी नहीं देगी :-

IndiaCode

(i) बिल बनाने या विपणन प्रचालन प्रयोजनों के लिए।

(ii) कानून लागू करने के प्रयोजन के लिए।

(iii) ग्राहक के पिछले बकाया लेखें, जिन्हें बकाया वसूली एजेंसी को भेज दिया गया हो।

(iv) जहां जानकारी को पर्याप्त रूप से इकट्ठा कर दिया गया हो ताकि किसी ग्राहक विशेष के बारे में जानकारी न हो सके।

(2) जहां कोई कंपनी किसी सम्बद्ध कंपनी के साथ सूचना सेवाओं का आदान-प्रदान करती है वहां सम्बद्ध कंपनी तथा समस्त सूचना पहुंचने और किसी कंपनी की सूचना पहुंचने से संरक्षित किया जाएगा जिसमें उपयुक्त कंप्यूटर डाटा प्रबंधन और आंकड़ा प्राप्ति प्रोटोकॉल के साथ-साथ किसी प्रोटोकॉल को प्राप्त करने को भंग करने के संबंध में संविदागत प्रावधान शामिल होंगे।

7. साझी निगमित सेवाएं

कोई कंपनी साझी महत्वपूर्ण निगमित सेवाओं के संबंध में ही अपनी संबद्ध कंपनी के कर्मचारियों का आपस में इस्तेमाल कर सकती है, बशर्ते कि यह निर्धारित हो कि ऐसे कर्मचारी न तो प्रत्यक्ष रूप से और न परोक्ष रूप से विनियमित गतिविधियों से संबंधित किसी सूचना का एकत्रीकरण, भण्डारण, समायोजन, संसाधन, पारेषण या प्राप्ति करेंगे।

8. बिना किसी भेदभाव के सेवाएं प्राप्त करना

(1) कंपनी बिना किसी भेदभाव के आधार पर प्राकृतिक गैस के विपणन में संलग्न अन्य सभी कंपनियों को अपनी संबद्ध कंपनियों के बराबर ही मानेगी।

(2) कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगी कि उसकी संबद्ध कंपनी अपने विपणन या प्रचार सामग्री में कंपनी की प्रणाली तक अधिमान पहुंच या अनुकूल लाभ पहुंचाने में सहायता न करे और यदि कंपनी को अपनी संबद्ध कंपनी द्वारा किसी अनुचित विपणन या प्रचार गतिविधि करने का पता चलता है तो वह कंपनी -

(क) ऐसे उल्लंघन से प्रभावित उपभोक्ताओं को तत्काल सूचित करेगी;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि संबद्ध कंपनी इस चिंता से अवगत है; और

(ग) ऐसे कार्यकलापों अर्थात् कंपनी द्वारा किए गए उपचारी उपाय तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बोर्ड को सूचित करें।

(3) कंपनी, संबद्ध कंपनी के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के अंतर्गत प्राधिकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क के लिए आवेदन करेगी जैसा कि इसी प्रकार की गैर-संबद्ध कंपनी के मामले में लागू होता है।

(4) कंपनी उस उपभोक्ता को संबद्ध कंपनी में हस्तांतरण नहीं करेगी या सौंपेगी जिसके लिए कंपनी विनियमित कार्यकलाप की सेवा उपलब्ध करा रही है जब तक कि उपभोक्ता ऐसे स्थानांतरण या कार्य की लिखित में अनुमति नहीं देता।

(5) कंपनी और इसकी संबद्ध कंपनी किसी उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता या तृतीय पक्ष को व्यापार करने, समर्थन देने या यह सुझाव नहीं देगी कि उन्हें संबद्धता के परिणामस्वरूप विशेष प्राथमिकता प्राप्त होगी।

(6) कंपनी किसी को भी अपने संबद्ध या गैर-संबद्ध प्रतिस्पर्धियों के बारे में कोई नकारात्मक सूचना नहीं देगी।

9. अनुपालन उपाय

(1) कंपनी संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी और यह -

(i) कंपनी द्वारा संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तिमाही आधार पर आंतरिक समीक्षा का निष्पादन करेगी;

(ii) संहिता को अपने कर्मचारियों में परिचालित करेगी और उन्हें इसके अनुपालन से अवगत कराएगी;

(iii) इस संहिता पर उनके कर्मचारियों द्वारा किए गए अनुपालन की निगरानी करेगी; और

(iv) ऐसे अनुपालन को लागू करने वाले प्रलेखन के सत्यापन योग्य रिकार्ड को रखेगी।

(2) कंपनी बोर्ड को वार्षिक आधार पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें इन विनियमों के अंतर्गत प्रावधानों को कंपनी द्वारा किए गए अनुपालन की सूचना दी जाएगी यदि -

(क) कंपनी परिवहन और प्राकृतिक गैस के विपणन दोनों कार्यकलापों में संलग्न है या संलग्न होने का प्रस्ताव है; या

(ख) कंपनी द्वारा अपनी संबद्ध कंपनी से लेनदेन किया जाता है जो प्राकृतिक गैस का विपणन कर रही है।

IndiaCode

10. रिकार्ड रखना और आवश्यकता सूचित करना

(1) कंपनी अद्यतन रिकार्डों को ऐसे ढंग से रखेगी ताकि इस संहिता का अनुपालन किया जा सके।

(2) इस संहिता में निहित अन्य किसी सूचित आवश्यकता के अलावा कंपनी इन विनियमों की अधिसूचना के एक माह की अवधि के अंदर निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएगी, अर्थात्

(क) सभी संबद्ध कंपनियों की सूची जिनके साथ कंपनी लेन-देन करती है, जिसमें व्यवसाय के पते सहित अपनी संबद्ध कंपनी के अधिकारियों और निदेशकों की सूची तथा व्यवसाय की व्याख्या शामिल है;

(ख) निगमित संगठन चार्ट जिसमें संबंध और स्वामित्व का प्रतिशत दर्शाया गया हो;

(ग) विनियमित कार्यकलाप के संबंध में कंपनी की लागत नीति जिसमें सामान्य खर्च के आबंटन के लिए कंपनी द्वारा लागू आधार शामिल है; और

(घ) अन्य कोई संगत सूचना जो बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझी जाए:

बशर्ते कि कंपनी ऐसा परिवर्तन होने के एक माह की अवधि के अंदर किसी परिवर्तन के लिए खण्ड (क) से (घ) के अंतर्गत बोर्ड को उपलब्ध कराई गई सूचना को अद्यतन बनाए।

(3) कंपनी अपनी संबद्ध कंपनियों सहित अपने विनियमित कार्यकलापों के ब्यौरे को वेबसाइट पर डालेगी।

11. प्राधिकरण प्रक्रिया के दोषपूर्ण और रद्द होने के परिणाम

कंपनी इन विनियमों के अंतर्गत सभी प्रावधानों का अनुपालन करेगी और इसमें असफल रहने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियम (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्राधिकरण रद्द हो सकता है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत अन्य कोई दण्डात्मक कार्रवाई भी शामिल होगी।

12. विविध

यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान की व्यवस्था के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

[फा.सं. एस.-प्रशा./ II/8/2007 खण्ड-1]

अजय त्यागी, सचिव

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2008

G.S.R. 540(E).—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate Code of Conduct for Entities Engaged in Marketing of Natural Gas and Laying, Building, Operating or Expanding Natural Gas Pipeline) Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "affiliate" means an associated person in relation to the entity or the entity in relation to an associated person-

(i) who participates directly or indirectly or through one or more intermediaries in the management or control or capital of the entity or an associated person, as the case may be;

(ii) who holds, directly or indirectly, shares carrying not less than 26% of the voting power in the entity or associated person, as the case may be;

IndiaCode

(iii) who appoints more than half of the board of directors or members of the governing board, or one or more executive directors or executive members of the governing board of the entity or the associated person, as the case may be; or

(iv) who guarantees not less than 10% of the total borrowings of the entity or the associated person, as the case may be.

(c) "appointed day" means the date of October 1, 2007 when the Central Government notified the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;

(d) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(e) "capital cost" means cost in respect of creation of a fixed asset;

(f) "cost" means the capital cost, direct cost, financial cost, fully allocated cost or operating cost, as the case may be.

(g) "direct cost" means cost that can reasonably be identified as cost incurred for laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline;

(h) "financing cost" means the cost of financing the creation of an asset or for meeting the requirements of incurring an operating cost;

(i) "fully allocated cost" means the sum of direct costs plus a proportional share of indirect costs derived on the basis of the level of activities carried out and on consistently applied basis of allocation;

(j) "indirect cost" means such cost which cannot be directly identified with either laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline or marketing of natural gas and includes, but are not limited to common overhead costs, common administrative expenses and taxes;

IndiaCode

(k) "marketing of natural gas" means the activity of selling or distribution of natural gas;

(l) "natural gas pipeline" means natural gas pipeline as defined under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.

(m) "operating cost" means cost in respect of upkeep and maintenance of a fixed asset or service;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations, as the case may be.

3. **Application.**

These regulations shall apply to an entity-

(1) which proposes to lay, build, operate or expand natural gas pipeline and is authorized to do so under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008;

(2) which is laying, building, operating or expanding natural gas pipeline and has been authorized to do so under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008;

(3) which is authorized by the Central Government before the appointed day for laying, building, operating or expanding natural gas pipeline; or

(4) which is either authorized or is directed by the Board for conversion of a dedicated pipeline into a common carrier or contract carrier under the relevant regulations:

IndiaCode

Provided that the entity is either engaged or proposes to engage in the activity of marketing of natural gas:

(a) either on its own;

(b) through a division, business unit or such other categorization made for different business segments by the entity but without separating the ownership and management control of the same into another entity; or

(c) through its affiliate.

4. **Scope of affiliate code of conduct.**

(1) The affiliate code of conduct referred to in these regulations and *hereinafter* referred to as the "code" sets out the manner of the-

(a) interactions between the entity and its affiliate for the purposes of carrying out the activities of both transportation and marketing of natural gas based on the principle of "at an arm's length"; or

(b) engagement in both the activities of transportation and marketing of natural gas by the entity on its own by following the principle of "at an arm's length".

(2) The objectives of this code are to ensure-

(a) protection of the interests of the consumers and other entities against the actions of an entity while dealing with its affiliate as also when the entity on its own is engaged in both the activities of transportation and marketing of natural gas;

(b) prevention of cross-subsidization of the costs between the regulated activity and any other non-regulated activity including the activity of marketing of natural gas either by the entity on its own or through its affiliate which adversely affects or has the potential of adversely affecting fair trade and competition between the entities;

(c) that there is no preferential access allowed by the entity to itself or to its affiliate for the regulated activity; and

(d) development of a fair and competitive natural gas market.

5. **Degree of accounting separation.**

(1) The entity shall ensure accounting and financial separation by maintaining separate financial records and books of accounts in respect of the regulated activity in cases where-

a) the affiliate of the entity is engaged or proposes to engage in the marketing of natural gas; or

b) the entity on its own or proposes to engage in both the activities of transportation and marketing of natural gas.

(2) The entity shall ensure that while undertaking the accounting and financial segregation in respect of the regulated activity under sub-regulation *(1)*, both direct and indirect costs are fully allocated to the regulated activity in a transparent manner and without any cross-subsidization of costs with any other non-regulated activity.

(3) The entity shall adhere to the accounting standards and guidelines of The Institute of Chartered Accountants of India as well as the Companies Act, 1956 and the Board may, if it deems fit, examine the appropriateness of the basis of cost allocation followed by the entity.

6. **Confidentiality of consumer information.**

(1) The entity shall not release to an affiliate any information relating to a consumer without his written consent except where such information is required to be disclosed for-

(i) billing or market operation purposes;

IndiaCode

(ii) law enforcement purposes;

(iii) processing of past due accounts of the consumer which have been passed on to a debt collection agency;

(iv) where the information has been sufficiently aggregated so that any individual consumer's information cannot reasonably be identified.

(2) Where an entity shares information services with an affiliate, all information shall be protected from access by the affiliate and access to an entity's information services shall include appropriate computer data management and data access protocols as well as contractual provisions regarding the breach of any access protocols.

7. Shared corporate services.

An entity may share employees with its affiliate only in relation to the shared core corporate services subject to the stipulation that such employees shall neither be directly or indirectly involved in collecting, storing, collating, processing, transmitting or having access to any information which is related to the regulated activities.

8. Non-discriminatory access to services.

(1) The entity shall treat all other entities engaged in natural gas marketing on the same non-discriminatory basis as it treats its own affiliate.

(2) The entity shall take reasonable steps to ensure that its affiliate does not cause in its marketing or promotional material any favoured treatment or preferential access to the entity's system and in case the entity becomes aware of an inappropriate marketing or promotional activity by its affiliate, the entity shall-

(a) immediately notify affected consumers of such violation;

(b) take necessary steps to ensure that the affiliate is aware of the concern; and

(c) inform the Board in writing of such activity, the remedial measures that were undertaken by the entity and the steps taken by the entity to prevent its re-occurrence in future.

(3) The entity shall apply the natural gas pipeline tariff authorized under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 to an affiliate in the same manner as is applicable to similarly placed non-affiliates.

(4) The entity shall not transfer or assign to an affiliate a consumer for whom the entity is providing service of the regulated activity unless the consumer gives permission to such transfer or assignment in writing.

(5) The entity and its affiliate shall not trade upon, promote, or suggest to any consumer, supplier or third-party that they may receive preferential treatment as a result of the affiliation.

(6) The entity shall not provide to anyone any negative information about its affiliate or non-affiliate competitors.

9. **Compliance measures.**

(1) The entity shall be responsible for ensuring compliance with this code and shall-

(i) perform an internal review on a quarterly basis establishing compliance by the entity to the code;

(ii) circulate the code to its employees and make them aware of its compliance;

(iii) monitor compliance by its employees' to this Code; and

(iv) maintain verifiable record of documentation establishing such compliance.

(2) The entity shall submit the compliance report on an annual basis to the Board reporting the extent of compliance by the entity to the provisions under these regulations in case-

IndiaCode

(a) the entity is engaged or proposes to engage in both the activities of transportation and marketing of natural gas; or

(b) of dealing by the entity with its affiliate which is marketing natural gas.

10. **Record keeping and reporting requirements.**

(1) The entity shall maintain updated records in a form and manner so as to be able to substantiate compliance with this code.

(2) In addition to any other reporting requirements contained in this code, the entity shall provide the following information within a period of one month of the notification of these regulations, namely:-

(a) list of all affiliates with whom the entity transacts including business addresses, list of the officers and directors and description of the business of its affiliate;

(b) corporate organization chart indicating relationships and ownership percentages;

(c) costing policy of the entity with respect to the regulated activity including the basis followed by the entity for allocation of common expenditure; and

(d) any other relevant information as deemed fit by the Board:

Provided that the entity shall update the information provided to the Board under clauses *(a)* to *(d)* for any change within a period of one month of the occurrence of such a change.

(3) The entity shall web-host the description of its regulated activities including that of its affiliates.

11. **Consequences of default and termination of authorization procedure.**

The entity shall abide by all the provisions under these regulations and any failure in doing so may lead to termination of the authorization in the manner specified in the Petroleum and Natural Gas Regulations (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations 2008 including any other penal action under the Act.

12. **Miscellaneous.**

If any dispute arises with regards to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final.

[F, No. S-Admn./II/8/2007-Vol. 1]
AJAY TYAGI, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 541(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या निविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की प्राप्ति संहिता) विनियम, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "प्राप्ति व्यवस्था" का अर्थ है ट्रांसपोर्टर का वह दस्तावेज जिसमें विशेष रूप से गैस पाइपलाइन तक प्राप्ति की निबंधन और शर्तों को परिभाषित किया गया हो और ट्रांसपोर्टर की वेबसाइट पर डाला गया हो;

(ख) "अधिनियम" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006;

(ग) "सदृश क्षेत्र" (एएचए) का अर्थ है पाइपलाइन का वह हिस्सा जिसके अंतर्गत कैलोरीयुक्त मूल्य सहित समान विशिष्टियों सहित गैस एक विनिर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त की जाती है या सुपुर्द की जाती है;

(घ) "आबंटित क्षमता" का अर्थ है शिपर और ट्रांसपोर्टर के बीच सहमत अनुसूचित अधिकतम दैनिक मात्रा;

(ड.) "नियत दिवस" का अर्थ है 01 अक्तूबर, 2007 का दिन, जब केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना करने की अधिसूचना जारी की थी;

IndiaCode